संख्या– 635 /4311/स0ना0उ0/2004–05

प्रेषक,

पी0सी0शर्मा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून ।

नागरिक उड्डयन विभाग | देहरादून दिनांक 21 मार्च 2005

विषय:– **जौलीग्राण्ट हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के फलस्वरुप अध्याप्त की गई भूमि के प्रभावित परिवारों को विशेष विस्थापन भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध मे वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति ।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या– 2869/अ0लि0/05,दिनाँक 28 फरवरी, 2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जौलीग्राण्ट हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के फलस्वरुप अध्याप्त की गई भूमि के परिवारों द्वारा की गई माँग एवं उनके समाधान के विषय में प्राप्त प्रस्ताव पर शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि वर्तमान में ग्राम अठूरवाला एवं ग्राम जौलीग्राण्ट के कुल 60 परिवारों हेतु कुल अधिग्रहण में आ रही 741.44 बीघा भूमि के लिये प्रत्येक विस्थापित परिवार को रुपये 50,000.00 प्रति बीघा की दर से विशेश विस्थापन भत्ता दिये जाने हेतु कुल 3.71 करोड़ (रुपये तीन करोड़ एकहत्तर लाख मात्र) की धनराशि का भुगतान किया जाना है । चूँकि इस धनराशि का भुगतान किया जाना अत्यन्त अपरिहार्यता है और वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस धनराशि का भुगतान न किये जाने पर हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के कार्य में पुनः बाधा उत्पन्न हो सकती है और वर्तमान वित्तीय वर्ष में सम्बन्धित मद में पर्याप्त बजट व्यवस्था उपलब्ध नहीं है और उक्त व्यय राज्य की महत्वाकाँक्षी विकास योजना के क्रियान्वयन एवं जनहित में आवश्यक एवं अपरिहार्य है,अतः उपरोक्त रुपये 3.71 करोड़ (रुपये तीन करोड़ इकहत्तर लाख मात्र) की धनराशि के प्रस्ताव पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए इतनी ही धनराशि राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रुप में आहरित करके व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2– उक्त धनराशि अथवा विशेष विस्थापन भत्ते का भुगतान तब देय होगा,जब सम्बन्धित खातेदार द्वारा माननीय न्यायालय से रिफरेन्स वापस लेने तथा सरकार के विरुद्ध भविष्य में कोई दावा प्रस्तुत न करने सम्बन्धी सहमति पत्र हस्ताक्षरित न कर लिया जाय और भूमि का कब्जा भी विभाग को प्राप्त हो जाय । इस प्रकार का सहमति पत्र जिला स्तर पर जिला शासकीय अधिवक्ता से तैयार कराया जायेगा । इस तरह से जो रिफरेन्स वापस हो जायेंगे,उनमें भविष्य में राज्य पर किसी भी प्रकार की देनदारी स्वतः ही समाप्त हो जायेगी । उक्त व्यवस्था केवल विस्तारीकरण की योजना के लिये अधिग्रहीत की गई भूमि पर ही लागू होगी ।

3– इस सम्बन्ध में व्यय विवरण तथा आवश्यक वाउचर आदि जिलाधिकारी सुरक्षित रखेंगे ।

4– व्यय करने से पूर्व,जिन मामलों में बजट मैनुअल तथा वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों/निर्देशों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो,उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये तथा एतद्विषयक वित्तीय नियमों से कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

5— विस्थापन भत्ते के भुगतान करते समय मितव्ययता सम्बन्धी नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

6— स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उक्तानुसार अनुमोदित मदों पर ही किया जाय । अन्यत्र मदों पर धनराशि का व्यय कदापि न किया जाय ।

7— यह प्रकरण भविष्य में किसी भी रुप में दृष्टान्त नहीं माना जायेगा ।

8— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय प्रथमतः 8000—आकस्मिकता निधि राज्य आकस्मिकता निधि लेखा 201—समेकित निधि का विनियोजन एवं अन्ततः अनुदान संख्या—24 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 5053—नागर विमान पर पूँजीगत परिव्यय 02—विमान पत्तन 800—अन्य व्यय 03—हवाई पट्टी के निर्माण हेतु अधिग्रहीत भूमि के प्रतिकर का भुगतान—00—24—वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

भवदीय,

(पी0सी0शर्मा)
सचिव ।

रा0आ0निधि संख्या—78 / वित्त अनु—3 / 2005,दिनाँक 21—3—2005

प्रतिलिपि महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),उत्तरांचल ओबेराय मोटर बिल्डिंग,माजरा,देहरादून को एक अतिरिक्त प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(के0सी0मिश्रा)
अपर सचिव वित्त

संख्या—6 38(1) / 4311 / स0ना0उ0 / 2004—05,तद्दिनाँकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— निदेशक,नागरिक उड्डयन,उत्तरांचल,देहरादून ।
2— वरिष्ट कोषाधिकारी,देहरादून ।
3— वित्त अनुभाग—3
4— एनआईसी
5— गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(पी0सी0शर्मा)
सचिव ।